



**प्रेस नोट दिनांक 07.02.2026**  
**थाना देवरनियां, जनपद बरेली**

**थाना देवरनियां क्षेत्रांतर्गत दिनांक 18-01-2026 को महिला से लूट की घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्तों को थाना देवरनियां #bareillypolice द्वारा मुठभेड़ के दौरान किया गया गिरफ्तार। (एक घायल)**

**घटना का संक्षिप्त विवरण -**

दिनांक 18-01-2026 को आवेदक श्री रनवीर सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार निवासी ग्राम गदइया निकट हरसूनगला थाना मिलक जनपद रामपुर हाल नि० किसान सहकारी चीनी मिल्स सेमीखेडा, बरेली द्वारा तहरीरी सूचना दी गई कि दिनांक 18-01-2026 को समय करीब 17.00 बजे नायरा पेट्रोल पम्प ग्राम सेमीखेडा के पास से 03 अज्ञात व्यक्ति जो स्पलेंडर प्लस मो०सा० पर सवार थे, उनके द्वारा तमंचा दिखाकर उनकी पत्नी के हाथ से पर्स छीन लिया गया, जिसमें एक मोबाइल, 6,000/- रुपये नकद तथा उनके पहनने वाले गहने थे। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना देवरनियां पर मु०अ०सं० 19/2026 धारा 309(4) बीएनएस में पंजीकृत किया गया।

**सूचना, पुलिस टीम, कार्यवाही -**

दिनांक 07.02.2026 को थानाध्यक्ष देवरनियां मय फोर्स संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग कर रहे थे तो मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि आपके थाने की लूट की घटना से सम्बन्धित अभियुक्तगण फिर से किसी घटना करने की फिराक में घूम रहे हैं, जो ग्राम इटौआ की तरफ आ रहे हैं। इस सूचना पर थाना देवरनियां पुलिस द्वारा घेराबंदी करके तीनों अभियुक्तों को घेर लिया। अभियुक्तों ने अपने को घिरता देख पुलिस पार्टी पर फायर किया, जिस पर पुलिस द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही में एक अभियुक्त दाहिने पैर में गोली लगने से घायल हो गया तथा शेष दो अभियुक्तों को घेरकर ग्राम इटौआ के जंगल के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से दो अवैध तमंचा 315 बोर व 04 जिन्दा कारतूस, 03 खोखा कारतूस 315 बोर, एक अवैध चाकू व थाना देवरनियां क्षेत्र में की गयी लूट की घटना से संबंधित शत प्रतिशत आभूषण बरामद हुए हैं, जिसमें एक सोने की एक चैन, एक कंठी, एक जोड़ी झुमके, दो अंगूठी, एक मंगलसूत्र तथा एक जोड़ी पाजेब (चांदी), 5600/- रुपये नकद तथा घटना में प्रयुक्त एक मोटर साईकिल स्पलेंडर बरामद हुई। अभियुक्तगण उपरोक्त से थाना भोजीपुरा क्षेत्र में दिनांक 01-02-2026 को कस्बा जादौपुर के पास दम्पति से लूटा गया मोबाइल व पैसे भी बरामद हुए हैं। मुठभेड़ के दौरान आरक्षी पवन बंसल भी घायल हुए हैं। घायल अभियुक्त एवं घायल आरक्षी को उपचार हेतु सीएचसी बहेड़ी भेजा गया। इस संबंध में थाना देवरनियां, बरेली पर मु०अ०सं० 41/26 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 व 4/25 आयुध अधिनियम में अभियुक्तगण कपिल मौर्य, अनिल मौर्य व सनी के विरुद्ध पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**घटना के संबंध में पंजीकृत अभियोग का विवरण -**

1. मु०अ०सं० 19/2026 धारा 309(4) बीएनएस थाना देवरनियां जनपद बरेली।
2. मु०अ०सं० 41/26 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 व 4/25 आयुध अधिनियम थाना देवरनियां जनपद बरेली।

**पूछताछ:-**

अभियुक्तगण कपिल, अनिल एवं सनी उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि हमारे पास कोई रोजगार नहीं है। हम अपना तथा अपने परिवार का खर्चा चलाने के लिए लूट की घटना करते हैं। दिनांक 18.01.2026 को समय करीब 17.00 बजे नायरा पेट्रोल पम्प ग्राम सेमीखेडा के पास से हमने मो०सा० पर जा रहे एक दंपति को तमंचा दिखाकर पर्स छीन लिया था तथा दिनांक 01.02.2026 को थाना भोजीपुरा के कस्बा जादौपुर के पास से हमने मो०सा० पर जा रहे एक दंपति से भी पर्स छीना था। हम लोग मो०सा० पर ही लोगों से पर्स व मोबाइल आदि लूट लेते थे और उनको बेंचकर अपना खर्चा चलाते थे। आज भी हम लोग लूट करने के लिए जा रहे थे कि आपने पकड़ लिया। लोगों को डराने तथा अपनी सुरक्षा के लिए हम तमंचा व चाकू रखते हैं तथा जो मो०सा० आपने हमसे बरामद की है वह कपिल के पिताजी की है। हम तीनों लोग इसी मो०सा० से लूट की घटना करते थे। हम पैसों के लालच में यह काम करते हैं।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -**

1. कपिल मौर्य पुत्र प्रेमराज मौर्य नि० ग्राम गुनाहट्टू थाना देवरनियां जनपद बरेली।
2. अनिल मौर्य पुत्र सालिग राम नि० ग्राम गुनाहट्टू थाना देवरनियां जनपद बरेली।
3. सनी पुत्र सुरेन्द्र नि० ग्राम गुनाहट्टू थाना देवरनियां जनपद बरेली।

**बरामदगी-**

1. 02 अवैध तमंचा 315 बोर
2. 04 जिन्दा कारतूस 315 बोर
3. 03 खोखा कारतूस 315 बोर
4. 01 अवैध चाकू
5. एक सोने की एक चैन, एक कंठी, एक जोड़ी झुमके, दो अंगूठी, एक मंगलसूत्र तथा एक जोड़ी पाजेब (चांदी), 5600/- रुपये नकद।
6. घटना में प्रयुक्त मो०सा०

**आपराधिक इतिहास – कपिल मौर्य पुत्र प्रेमराज मौर्य नि० ग्राम गुनाहडू थाना देवरनियां जनपद बरेली**

1. मु०अ०स० 19/26 धारा 309(4) बीएनएस, थाना देवरनियां जनपद बरेली ।
2. मु०अ०स० 65/26 धारा 309(4) बीएनएस, थाना भोजीपुरा जनपद बरेली ।
3. मु०अ०स० 41/26 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 व 4/25 आयुध अधिनियम, थाना देवरनियां जनपद बरेली ।

**आपराधिक इतिहास – अनिल मौर्य पुत्र सालिग राम नि० ग्राम गुनाहडू थाना देवरनियां जनपद बरेली**

1. मु०अ०स० 19/26 धारा 309(4) बीएनएस थाना देवरनियां जनपद बरेली ।
2. मु०अ०स० 65/26 धारा 309(4) बीएनएस, थाना भोजीपुरा जनपद बरेली ।
3. मु०अ०स० 41/26 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 व 4/25 आयुध अधिनियम, थाना देवरनियां जनपद बरेली ।

**आपराधिक इतिहास – सनी पुत्र सुरेन्द्र नि० ग्राम गुनाहडू थाना देवरनियां जिला बरेली**

1. मु०अ०सं० 177/25 धारा 115(2)/351(2) बीएनएस थाना देवरनिया जनपद बरेली ।
2. मु०अ०स० 19/26 धारा 309(4) बीएनएस थाना देवरनियां जनपद बरेली ।
3. मु०अ०स० 65/26 धारा 309(4) बीएनएस, थाना भोजीपुरा जनपद बरेली ।
4. मु०अ०स० 41/26 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 व 4/25 आयुध अधिनियम, थाना देवरनियां जनपद बरेली ।

**पुलिस टीम-**

1. थाना प्रभारी आशुतोष द्विवेदी, थाना देवरनियां जनपद बरेली ।
2. प्रभारी सर्विलांस सैल, मय टीम जनपद बरेली।
3. व०३०नि० श्री नवदीप कुमार, थाना देवरनियां जनपद बरेली ।
4. ३०नि० श्री जितेन्द्र कुमार, थाना देवरनियां जनपद बरेली ।
5. ३०नि० ताजवर सिंह, थाना देवरनियां जनपद बरेली ।
6. ३०नि० श्री पुष्पेन्द्र शर्मा, थाना देवरनियां जनपद बरेली ।
7. हे०का० 1189 विनोद कुमार, थाना देवरनियां जनपद बरेली ।
8. हे० का० 505 मलिखान सिंह, थाना देवरनियां जनपद बरेली ।
9. का० 1239 बिट्टू सिंह, थाना देवरनियां जनपद बरेली ।
10. का० 2752 पवन बंसल, थाना देवरनियां जनपद बरेली ।
11. का० 2908 राजन, थाना देवरनियां जनपद बरेली ।